

Sr 5/24/2016/14-9 विषय:- क्रम्माई 8285/15- शिक्राचंद द्वाराट निक्रमां की कि खास्तर एहं इत्मा छब्बीस-२ सचिवालय क्र क्रिक मेर कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त नोटशीट क्रमांक-यू.ओ. नं0-25/2016/14-3 दिनांक 29.01.2016 द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी.-8285 / 2015 आनन्द कुमार जैन 54105- (als/1249/5D(1250 चौधरी, स.उ.नि., दैनिक वेतन भोगी मण्डी समिति मुंगावली विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है,। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र कमांक / बोर्ड / विधि / के-40 ग्वा / 15 / 239 दिनांक 17.2.2016 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक / उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी 37 नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में संलग्न कर एकल नस्ती मुलतः प्रेषित है। क्पया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेत् भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा। 17-2-16. संयुक्त संचालक, अवर सचिव. मध्यप्रदेश शासन. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.. मंत्री कोर्ड के प्रस्तातायामार के बेन्द्रपति रक्काश्राम प्राप्त Nitin mistry/GOV nootsheet

4HJA HTUA

शाकेमुभो 196 - उनिशाकेमुभो 17-7-15 - 5,00,0

8-5/24/2016/14.3 विषय:- रा के 8285 (15 - मीर क्रारंद कुमा कि - भीरपूरी पर कारम इस ६०० में ने जाती क्रारंद्वा कर्त्या है अनुस्त क्रारंत में के केत किया जाता अल्लाकी मिन्न मिला में के कित किया जाता अल्लाकी है। प्रातिर राण काडिश हेत् नस्त विसी विभाग के स्मित करना प्रतिरहाण कारेश हेल नस्ती कंबिन। अंगुड्य सन्ति (विविध (डॉ. राजेश राजीरा) किसान कल्याप तथा कृषि विकास विमाग

विषय : छब्बीस-२ सचिवालय का विभाग Uniform the same that the same ाणी हाका

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क0/बोर्ड/विधि के-40 ग्वा./डब्ल्यू.पी.-8285/15/239भोपाल,दिनांक 17-2-16

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल.

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी०- 8285 / 15 आनंद कुमार जैन चौधरी स.उ.नि.दै.वे. भोगी मण्डी मुँगावली जिला अशोकनगर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

-000-

उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी करवाये जाने हेतु निवेदन किया जाना उचित होगा।

संलग्नः— प्रभारी अधिकारी प्रस्ताव आदेश प्रारुप

अपूर्व चालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

क0/बोर्ड/विधि/ के-40 ग्वा./डब्ल्यू.पी.-8285/15/ प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक

- (1) महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- (2) संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में पक्ष समर्थन करने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क स्थापित कर तत्काल प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया जाकर तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाये।

(3) संयुक्त संचालक(कार्मिक) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत्।

(4) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, मुँगावली जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मण्डी समिति की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु पृथक से कार्यवाही की जाकर वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करावे।

(5) आदेश नस्ती।

अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल



St-5/24/16/14-8

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALIOR

Process Id: 37894/2015

WP/8285/2015

From

Deputy Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior FOR ADMISSION
Fixed for 28-01-2016
WP-DA-5
Respondent No. 1

RAD

To,

The State Of Madhya Pradesh
Thr.Principal Secretary
Department of Agriculture
Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 21-12-2015

Hydron A

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8285/ 2013

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Anand Kumar Jain Chaudhary** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/8285/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **28-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

OURT OF MADHY

ATTIXED AT GUN

Your faithfully

Section Officer
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesa

Bench Gwalior

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. 8285 /2015 (S)

PETITIONER

Anand Kumar Jain Chaudhary

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

LIST OF EVENTS

DATES	PARTICULARS	ANNEXURES
The state of the s	The petitioner is aggrieved by the order dt. 11-08-2011 passed by the respondent no. 2 whereby the claim of the petitioner for regularization of his services has been rejected on the ground that when the petitioner was engage as Daily Rated Employee, he was of 34 years but as per the rules the age limit was 30 years. This fact of the respondents is totally wrong as the date of birth of the petitioner is 03-06-1952 and he was working in the respondent department since 1977. Thus from the aforesaid facts it is clear that in the year 1977 the petitioner was only 25 years old and therefore rejection of the claim of the petitioner for his regularization is without application of mind and the impugned order dt. 11-08-2011 is liable to be quashed.	
	That, the petitioner was engage as Daily Rated Employee in the respondent Krishi Upaj Mandi Samiti in the year 1977.	
	That, earlier the services of petitioner were terminated by the respondents in the year 1990 thereafter he was reinstated in service in 2000 after the orders of the Ld. Labor Court.)
	That, when the services of the petitioner were no regularized by the respondents than he approach	1

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

कमांक- 57-5 | १4 | १०१६ / १५ | अादेश / /

भोपाल दिनांक 2-316

सिवल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम— 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी०—8285/2015 आनंद कुमार जैन चौधरी स.उ.नि.दै.वे.भोगी मण्डी मुगावली जिला अशोकनगर विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए है, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

- 1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट मे विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- 6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- 7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ———— प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रकम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 9. जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।

- 10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
- 11.यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 12.जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- 13.अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह जाये।
- 14.प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाच्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 15.प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

क्मांक- ई१ - 51 84 12016 / 14-3 प्रतिलिप :-

भोपाल दिनांक 2 - 3 - 16

Aur manner :

- महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

संबंधित जिलाध्यक्ष अशोकनगर मध्यप्रदेश।

5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को भी आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख १८११ विभाग हैतु नियत की गई है।

अवर समिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल